

07/06/14

पत्रावली केम ही वकील गुमाट/पुकरणा  
 में तहसीलदार अरंई का जवाब आ  
 चुका है। वकील गुमाट की प्रार्थना पर  
 अन्तरि द्वारा 136 पर बहक हुनी गयी तथा  
 तहसीलदार अरंई की रिपोर्ट का अवलोकन  
 किया गया। तहसीलदार अरंई की रिपोर्ट तथा  
 सेलमन दस्तावेजों के अवलोकन से तर्क है कि  
 प्रार्थीया का नाम नामांतरण सेख्या 799 व  
 872 से ही रामचन्द्र कंवर दल है, द्वारा  
 136 PR Act केवल राजस्व रिकार्ड में मुदियों के  
 संशोधन हेतु दिया गया है। प्रार्थीया का नाम  
 नामांतरण में ही रामचन्द्र कंवर है जो कि द्वारा  
 136 PR Act के परिमेत्र में नहीं आता है। प्रार्थीया  
 द्वारा ठेकशापका अथि अथवा द्वारा 75 PR Act  
 के तहत दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है किन्तु यह  
 प्राण पर चलने योग्य नहीं है अतः प्रार्थीया  
 प्रार्थीया पर खारिज किया जाता है पत्रावली  
 वकील गुमाट केवर नम्वर के कृत है।

उपखण्ड अधिकारी  
 अरंई (अजमेर)



तारीख हुक्म  
 अहवाल  
 इस हुक्म  
 जाहिर हुके